भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1237

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

बैंकों के लिए 5-दिवसीय सप्ताह का प्रस्ताव

1237. श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 5-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह के आईबीए के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंकिंग कर्मचारियों की कमी के कारण यह प्रस्ताव लंबित है;

(घ) यदि हां, तो बैंकों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार के पास नव प्रस्तावित 5-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लागू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सभी शनिवार को बैंकिंग अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। शनिवार के सार्वजनिक अवकाश होने के संबंध में आईबीए और कामगार यूनियनों/अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित 10वें द्विपक्षीय समझौते/7वें संयुक्त नोट के पश्चात, सरकार नेपरक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.08.2015 की अधिसूचना के तहत प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को भारत में बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) बोर्ड द्वारा अभिशासित वाणिज्यिक संस्थाएं हैं। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में श्रमशक्ति की आवश्यकता का निर्धारण संबंधित पीएसबी द्वारा विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार अपेक्षा, कार्यकलापों का विस्तार, अधिवर्षिता और अन्य अनियोजित बहिर्गमन शामिल हैं। तदनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और यह उनकी अपेक्षाओं के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष बदलती रहती है।

पीएसबी से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2025 तक, 96% कर्मचारी बैंकों की अपनी व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार कार्यरत हैं। लघु अनुपातिक अंतर अधिवर्षिता और अनियोजित बहिर्गमन सहित अन्य सामान्य कारकों के कारण है।

*****